कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांकः 1328 / पी0–सिं0ख0–2 / कुण्ड दिनांक–20 / 09 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर, उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित मरोडा से बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से कुण्ड 8.125 किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/21822/2016**)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक संख्या–8 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 94 / 2019 / एफ0सी0, दिनांक 30.08.2024

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा कुछ बिन्दुओं पर अभिलेख तैयार कर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित करने को कहा गया। जिसमें बिन्दु संख्या–02 की आख्या के सम्बन्ध में सूचनीय है कि वनभूमि के अन्तर्गत मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन के साथ ही वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भी यथाशीघ्र अपलोड करना आवश्यक होता है अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 स्वीकृत नहीं हो पाती है। तत्समय के0एम0एल0 फाईल तथा Geo-Reference मैप प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण पर लिए गये कोर्डिनेड् के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी एवं समयाभाव के कारण वनभूमि प्रस्ताव के लिए तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुई है जिसके कारण के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का ग्रेड पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानको के अनुरूप भी नहीं है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान / पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है।

वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार के0एम0एल0 फाईल तथा गूगल मैप की फोटो तैयार की गयी हैं, जिसके अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान / कटान व निर्माण कार्य संशोधित गूगल मैप के अनुसार ही किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उलंग्घन नहीं हुआ है। पूर्व समरेखण एवं वर्तमान समरेखण की के0एम0एल0 फाईल (सी0डी0) एवं गूगल मैप की फोटो, उक्त दोनों समरेखणों का Land Schedule इस कार्यालय के पत्रांक सं0–236 / पी0–सिं0ख0–2 / कुण्ड, दिनांक 13.02.2024 के द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर, उप वन प्रभाग मुनिकीरेती को प्रेषित कर दी गयी थी, जिसकी प्रति आपको भी सूचनार्थ प्रेषित थी (प्रति संलग्न)।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने स्तर से नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को एन0आई0सी0 नई दिल्ली के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल में संशोधित के0एम0एल0 को अपलोड किये जाने की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

20/09/24

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी
20/09/24

पत्रांक / पी0–सि0ख0–2 / कुण्ड / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांकः 236 /पी0–सिं0ख0–2/ कुण्ड दिनांक–13 /02/2024

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर, उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के किमी0. 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/21822/2016)

संदर्भः– आपका पत्रांक–520/12–1, मुनिकीरेती दिनांक 05.01.2024

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वनभूमि के अन्तर्गत मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन करने के साथ ही वन भूमि का प्रस्ताव भी यथाशीघ्र अपलोड करना आवश्यक होता है, अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 स्वीकृत नहीं हो पाती है। तत्समय KML File तथा Geo Reference Map मोटर मार्ग के पूर्व के समरेखण पर लिये गये Coordinate के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी व समयाभाव के कारण वन भूमि प्रस्ताव के लिये तैयार किये गये KML File में त्रुटि परिलक्षित हुई है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 के समरेखण के अनुसार ही किया गया है।

वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार KML File तथा Google map की फोटो तैयार की गयी है, जिसके अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान/कटान व निर्माण कार्य संशोधित Google map के अनुसार ही किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं हुआ है। पूर्व समरेखण एवं वर्तमान समरेखण की KML File (C.D) एवं Google map की फोटो, उक्त दोनों समरेखणों का Land Schedule संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को एन0आई0सी0 नई दिल्ली के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

13.02.24

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी

पत्रांक 236 /पी0–सि0ख0–2/ कुण्ड /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– 1. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर, वन प्रभाग को उनके पत्रांक संख्या–1498/12–1 दिनांक 11.12.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13.02.24

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी